

कार्यालय, अंचल अधिकारी, चन्द्रपुरा।

3

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1943 का नियम 129)

आदेश-पत्रक ता०

से

जिला - बोकरो वाद सं० 10 / 11-12

केस का प्रकार - अमीन मापी

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित										
1	2	3										
	श्री/श्रीमती <u>प्रेम नारायण देव</u> पति/पत्नी/पिता <u>राम बंजन कुमारी</u> मौजा/वार्ड नं० <u>कुरुम्बा</u> पञ्चालय <u>कुरुम्बा</u> थाना <u>दुगडा</u> जिला- बोकरो, भारखण्ड ने आवेदन देकर निम्नांकित भूमि का सीमांकन का अनुरोध किया है। आवेदित भूमि इस प्रकार है- <table border="1"> <thead> <tr> <th>मौजा/वार्ड नं०</th> <th>थाना नं०</th> <th>खाता नं०</th> <th>प्लॉट नं०</th> <th>रकबा</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>कुरुम्बा</u></td> <td><u>106</u></td> <td><u>28</u></td> <td><u>1114</u></td> <td><u>1.15 रु</u></td> </tr> </tbody> </table>	मौजा/वार्ड नं०	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा	<u>कुरुम्बा</u>	<u>106</u>	<u>28</u>	<u>1114</u>	<u>1.15 रु</u>	
मौजा/वार्ड नं०	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा								
<u>कुरुम्बा</u>	<u>106</u>	<u>28</u>	<u>1114</u>	<u>1.15 रु</u>								

हल्का कर्मचारी को आदेश दिया जाता है कि राजस्व कागजातों का जाँच कर जाँच प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करें।

अंचल अधिकारी,

चन्द्रपुरा।

1	2
	अभिलेख उपस्थापित। राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक का प्रतिवेदन प्राप्त है। राजस्व कर्मचारी ने प्रतिवेदित किया है कि <u>आवेदन शुल्क बकाया खाने की शुरु है। तिथि वर्ष 10-11 तक रसीद निर्गत है। मापी हेतु कुशांता किया गया है।</u>
	प्रतिवेदन उपरान्त राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक ने मापी कराए जाने की अनुशंसा किया है। जो अभिलेख के साथ संलग्न है। आवेदक को आदेश दिया जाता है कि कुल <u>50</u> दिनों का मापी शुल्क अंचल नाजिर के पास जमा करें, तत्पश्चात मापी हेतु आदेश निर्गत किया जाएगा।  अंचल अधिकारी, चन्द्रपुरा।
11/2/2012	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक ने नाजीर रसीद संख्या- <u>706031</u> दिनांक- <u>11/2/2012</u> द्वारा मापी शुल्क <u>400/- (चार सौ पचास)</u> रुपया जमा किया गया। मापी की तिथि <u>15/2/2012</u> को निर्धारित कि जाती है। सरकारी अमीन को आदेश दें। एवं संबंधितों को प्रतिलिपि प्रेषित करें।  अंचल अधिकारी, चन्द्रपुरा।
	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अमीन ने मापी प्रतिवेदन तथा ट्रेस नक्शा प्रस्तुत किया है। जो अभिलेख में संलग्न है। अतः अभिलेख की कार्यवाई समाप्त की जाती है। अंचल अधिकारी, चन्द्रपुरा।

आदेश की
क्रम सं०
और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख सहित

अगिले (अ) उपर्युक्त आदेश दिनांक
माइक, नौला माइक, ब्रिज माइक, अंगुलाय माइक
हवा बलमुद्रिका आवेदन पर, देकर मापी तिथि
परिचर्य कल का अंगुलाय विधि है।

वेतन : प्राप्त आवेदन पर न सिद्ध।
कल इह मापी की अंगुलाय विधि दिनांक 24/2
को रिपोर्ट की अंगुलाय है। कल खंडेचर
को आवेदन दिनांक करे।


वेचल अधिकारी
नन्दप्रकाश

सेवा में

श्री मान अंचल अधिकारी महोदय
चन्द्रपुरा

विषय :- मौजा कुरुम्बा का श्री प्रेमनारायण देव माता रामरंजन
कुमारी के खाना नं 28 प्लॉट नं 1114 रकबा 1.15 एकड़
जमीन का माफी प्रमाणपत्र के सम्बंध में।

महोदय

कार्यालय के शापंक 170 दिनांक 4.3.2012 के आदेशानुसार मैं मौजा कुरुम्बा माफी स्थल पर गये। स्थल पर प्रथम पड़ा एवं प्रमाणित जंगल उपस्थित थे। द्वितीय पड़ा जंगली शमल वन उपस्थित नहीं थे। मैंने द्वितीय पड़ा का 2.00 वर्ग मीटर तक वन काट दिया। परन्तु वे जंगल उपस्थित नहीं हुए।

उक्त भूमी का माफी के लिए पूर्व में चार लिखी 15.2.2012, 24.2.12, 29.2.12, 17.3.12 को पार हो चुका था। इस पार भान प्रभारी दुग्गा भी स्थल पर उपस्थित थे। इस लिए प्रथम पड़ा के प्रेम नारायण देव माता राम रंजन कुमारी के जमीन सम्बंधी कागजात का अपलोडन किया गया। जो जमींदारी बुद्धमनामा द्वारा खाना नं 28 प्लॉट नं 1114 रकबा 1.15 एकड़ प्रथम पड़ा को हासिल है। तब सरकारी रीसिद 2010-2011 तक हासिल है।

उक्त भूमी का माफी भाना प्रभारी दुग्गा के समक्ष माफी कर पत्र पठा कर निष्पत्ति कर दिया गया। स्थल पर प्रथम पड़ा कि भोर से एक माइकेल जमीन भी उपस्थित थे।

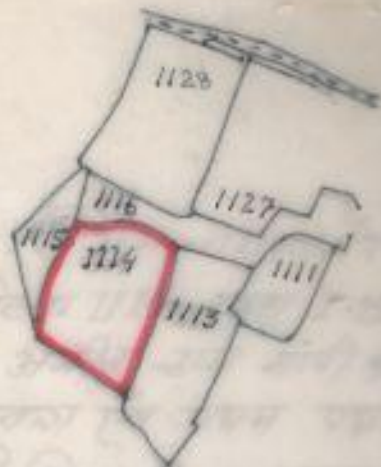
अतः माफी प्रमाणपत्र के साथ दो प्रति नक्सा एवं उपस्थित सदस्यों का हस्ताक्षर का एक प्रति उपरि उचित कर्मचारी हेतु समर्पित।

निवेदातु भाजन

प्रथम दाख
श्री अमीन
चन्द्रपुरा

1 - दुरुमा
 पिन - 1106
 गावा - बुगदा
 जिला - कोणारो
 पैसावा 15" = 1 मिल

नोट:- मागी किसाना गमा सुमीको नक्खे पर
 लाख रंग से चिह्नित किसान गमा है।



खालाक	कोडक	रकबा
28	1114	1.15 ह

[Signature]
 4. 6. 2012

4. 6. 2012